देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 97 /भू अ० दिनांक : 20/01/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–गोईठाडीह, थाना–देवीपुर, थाना सं०–337, अंचल–देवीपुर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **मधुपुर (सरवन मेन रोड) कजरा से घसको मोड़ भाया बागजोरा बंशटोली बेरहन तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–गोईठाडीह, थाना–देवीपुर, थाना सं०–337, अंचल–देवीपुर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.53** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	139	रैयती	बाड़ी–2	0.02	मु० आलो कुमारी जौजे सरोबर चौधरी वो मु० लाखो कुमारी जौजे मधु चौधरी (ज०रै०) सा० देह।	बारासोली, 320	चकनावादा, 347	खेसरा संख्या–193 का अंश	खेसरा संख्या–197 का अंश।
2	3	143	रैयती	बाड़ी–2	0.015	तथैव।				
3	4	194	रैयती	बाड़ी–2	0.09	गुरू सिंह वो बैजु सिंह पे० कोदो सिंह वो मो० जासो कुमारी जौजे दमरो सिंह वो चिगु सिंह बल्द चुलो सिंह। सा० देह।				
4	8	2	रैयती	बाड़ी–2	0.04	प्रभु चौधरी बल्द शिवदयाल चौधरी वो मु० नुनकी कुमारी जौजे महो चौधरी। सा० देह।				
5	8	6	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
6	8	140	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
7	8	144	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
8	11	5	रैयती	बाड़ी–2	0.03	दिवाकर चौधरी वो बिमल चौधरी पे० स्व० मथुरा चौधरी वो समीर कुमार चौधरी पे० स्व० सुवन चौधरी वो रिंकी देव्या पति स्व० नित्यानन्द चौधरी वो जवाहार चौधरी पे० स्व० सत्यनारायण चौधरी। सा० देह।				
9	11	7	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
10	11	142	रैयती	बाड़ी–2	0.05	तथैव।				
11	11	147	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
12	11	228	रैयती	बाड़ी–2	0.07	तथैव।				
13	11	220	रैयती	बाड़ी–2	0.01	तथैव।				
14	13	183	रैयती	बाड़ी–2	0.04	गोविन्द चन्द दास वो नरेश दास वो सुरेश दास पे० स्व० मंगु दास वो इन्दु देवी पति स्व० गोपाल चन्द्र दास वो कमलकान्त दास पे० स्व० महावीर दास वो मनोहर दास पे० स्व० बैजनाथ दास वो सूरज दास वो रोबिन दास वो नुनुराम दास वो चन्द्रदेव दास पे० स्व० हकिम दास वो जितेन्द्र दास पे० स्व० विष्णु दास वो				

						चन्दन कुमार दास वो कुन्दन कुमार दास वो बिटु कुमार दास पे० स्व० गिरिश दास वो जागेश्वर दास पे० स्व० फोदी दास वो किशोर कुमार दास वो मुरारी कुमार दास पे० स्व० बिन्दु दास वो अशोक दास वो दिलीप कुमार दास वो सुभाष कुमार दास वो पंकज कुमार दास पे० स्व० त्रिलोकी दास। सा० देह।				
15		3	रैयती	बाड़ी–2	0.005	मुस्तवाहा।				
16		148	रैयती	बाड़ी–2	0.03	मुस्तवाहा।				
कुल रकवा–					**0.53**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 97 / भू अ०, देवघर, दिनांक 20/01/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।